संख्या–3601/नौ–9–2015–115ज/08टी0सी0

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 22 अप्रैल, 2015

विषय– वित्तीय वर्ष 2015–16 में 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये Forfeited अनुदान की प्राप्त धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या–एफ.12(3)/एफ.सी.डी./2013, दिनांक 24.03.2015 (LB Release No.109/2014-15) एवं (LB Release No.110/2014-15) (प्रति संलग्न) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त वर्ष 2013–14 की अनुदान राशि (Forfeited Grant) को प्रदेश की नागर निकायों के लिए क्रमशः रू0 66.1339 करोड़ तथा रू0 115.7603 करोड़ कुल रू0 181.8942 करोड **(रूपये एक अरब इक्यासी करोड नवासी लाख बयालिस हजार मात्र)** की धनराशि समस्त कार्यरत स्थानीय निकायों को आवंटित करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(₹ करोड़ में)

क्र.	निकाय का नाम	धनराशि
1	नगर निगमों हेतु	72.75768
2	नगर पालिकाओं/नगर परिषदों हेतु	72.75768
3	नगर पंचायतों हेतु	36.37884
	योग–	**181.8942**

1– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि आपके द्वारा 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों/नीतियों का अक्षरशः पालन करते हुए निर्धारित मानक के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों को उनके हिस्से की नियत धनराशि विलम्बतम दिनॉक 25.04.2015 तक अवश्य आवंटित कर दिया जाय।

2– उक्त धनराशि का कोषागार से आहरण करके निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 द्वारा सर्वप्रथम पंजाब नेशनल बैंक में खुले "13वें वित्त आयोग के नोडल खाते" में जमा करने के पश्चात नागर स्थानीय निकायों के 13वें वित्त आयोग से संबंधित खुले खातों में बैंक द्वारा इलेक्ट्रानिक माध्यम से निर्धारित समयान्तर्गत अन्तरित कराया जाय।

3– धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या व दिनॉक सहित निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा शासन के वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

Kmgo

4— स्वीकृत की जा रही धनराशि 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर सर्विस लेविल बेन्च मार्क से सम्बन्धित 04 जलापूर्ति,मलजल व्यवस्था, वर्षा जल की निकासी तथा ठोस अपशिष्ट पदार्थों की प्रबन्धन में सेवामानकों को पूरा करने पर व्यय की जाय और जो धनराशि बचती है तो उसका उपयोग ई—गर्वनेन्स हेतु किया जाय।

5— प्रदेश की दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले छः नगर निगमों यथा कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद व मेरठ द्वारा उक्त धनराशि की अधिसूचना संख्या—582/नौ—9—2011—294ज/10, दिनांक 24.03.11 में निर्गत कार्योजना (वर्ष 2014—2015) के सापेक्ष आग के खतरे से निपटने की व्यवस्था हेतु उपशमन की योजना में व्यय की जायेगी। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसका व्यय प्रस्तर—4 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

6— स्थानीय निकायों के लिए संस्तुत अनुदान को राज्य के बजट में आयोजनेत्तर व्यय के रूप में दर्शाया जायेगा।

7— टेण्डर की कार्यवाही केवल अनुमोदित कार्यो हेतु की जायेगी।

8— इस अनुदान के लेखों का रखरखाव संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इस अनुदान के उपयोग एवं सम्प्रेषण की प्रणाली निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9— 13वें वित्त आयोग के अर्न्तगत संस्तुत अनुदान राशि का उपयोग निर्धारित स्कीमों के अर्न्तगत लिये जाने से संबंधित उपयोगिता प्रमाण—पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने होगें। तत्संबंधी प्रमाण—पत्र यथाशीघ्र भारत सरकार को वित्त विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना होगा।

10— उपयोगिता प्रमाण—पत्र नगर निगमों के संबंध में नगर आयुक्त एवं नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों के संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर चालू वित्तीय वर्ष में ही निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ, महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2— नगर निगमों के संबंध में संबंधित नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों के संबंध में संबंधित अधिशासी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित दिशा—निर्देश के अनुरूप एवं समयबद्ध रूप से किया जाय। दिशा—निर्देशों से हटकर किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा तथा इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। इसके लिए संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

3— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015—16 के आय—व्ययक की अनुदान संख्या—37 के अर्न्तगत निम्नलिखित लेखाशीर्षक के नामें डाला जायेगाः—

क.	निकाय का नाम	लेखाशीर्षक
1	नगर निगमों हेतु	2217—शहरी विकास—आयोजनेत्तर—80—सामान्य—191—नगर निगमों को सहायता—03—तेरहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान—0302—सामान्य निष्पादन अनुदान—20—सहायता अनुदान—सामान्य(गैर वेतन)
2	नगर पालिका परिषदों हेतु	2217—शहरी विकास—आयोजनेत्तर—80—सामान्य—192—नगर पालिकाओं/ नगर पालिका परिषदों को सहायता—03—तेरहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान—0302—सामान्य निष्पादन अनुदान—20—सहायता अनुदान—सामान्य (गैर वेतन)
3	नगर पंचायतों हेतु	2217—शहरी विकास—आयोजनेत्तर—80—सामान्य—193—नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्रों समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता—05—चौदहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान—03—तेरहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान—0302—सामान्य निष्पादन अनुदान—20—सहायता अनुदान—सामान्य(गैर वेतन)

Kmgo

उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–37 के अन्तर्गत निम्नानुसार लेखा शीर्षक में उपलब्ध बचत से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

क.	निकाय का नाम	लेखाशीर्षक
1	नगर निगमों हेतु	2217–शहरी विकास–आयोजनेत्तर–80–सामान्य–191–नगर निगमों को सहायता –05–चौदहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान–0501–सामान्य बुनियादी अनुदान–20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)
2	नगर पालिका परिषदों हेतु	2217–शहरी विकास–आयोजनेत्तर–80–सामान्य–192–नगर पालिकाओं/ नगर पालिका परिषदों को सहायता–05–चौदहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान–0501–सामान्य बुनियादी अनुदान– 20–सहायता अनुदान– सामान्य(गैर वेतन)
3	नगर पंचायतों हेतु	2217–शहरी विकास–आयोजनेत्तर–80–सामान्य–193–नगर पंचायतों /अधिसूचित क्षेत्रों समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता–05–चौदहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान–0501 –सामान्य बुनियादी अनुदान–20 सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)

4– यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहें है।

संलग्नक–बी.एम.–9 प्रपत्र।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रधान महालेखाकार(रिर्पोटब्रांच)/प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– वरिष्ठ उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय(लेखा परीक्षा एवं लेखा),उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
4– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5– मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार जवाहर भवन, लखनऊ।
6– वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1/2, उ0प्र0शासन।
7– वित्त संसाधन(वित्त आयोग).अनुभाग/वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0शासन।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव

Kmgo

बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भांति देख लिया जाय)

संख्या व नाम- अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग राजस्व लेखा वित्तीय वर्ष : 2015-16

(धनराशि हजार ₹ में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान /विनियोग (2 - 5)
1	2	3	4	5	6
2217-शहरी विकास-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-191-नगर निगमों को सहायता-05-चौदहवॉ वित्त आयोग-0501-सामान्य बुनियादी अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	3514000	3514000	1313417	1313417	2200583
2217-शहरी विकास-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-05-चौदहवॉ वित्त आयोग-0501-सामान्य बुनियादी अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	3514000	3514000	1313417	1313417	2200583
2217-शहरी विकास-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-05-चौदहवॉ वित्त आयोग-0501-सामान्य बुनियादी अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	1756800	1756800	656708	656708	1100092
योग	**8784800**	**8784800**	**3283542**	**3283542**	**5501258**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2217-शहरी विकास-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-191-नगर निगमों को सहायता-03-तेरहवॉ वित्त आयोग-0302-सामान्य निष्पादन अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	0	1313417	1313417	1313417	1313417
2217-शहरी विकास-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-03-तेरहवॉ वित्त आयोग-0302-सामान्य निष्पादन अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	0	1313417		1313417	1313417
2217-शहरी विकास-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-03-तेरहवॉ वित्त आयोग-0302-सामान्य निष्पादन अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	0	656708		656708	656708
योग	**0**	**3283542**	**1313417**	**3283542**	**3283542**

1- **स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-**
भारत सरकार से 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत कोई धनराशि अवमुक्त न होने के कारण।

2- **स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-**
भारत सरकार से 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत सामान्य निष्पादन अनुदान की प्रथम किश्त एवं फोरफीटेड ग्रान्ट की अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति।

3- **प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।**

आर.ई. संख्याः 605 /ई-8-1295/दस-2015, दिनांक 21 अप्रैल, 2015

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग

सुभाष चन्द्र
अनु सचिव, वित्त विभाग

GOFinSanctions(14-15)

संख्या : 411 (1)/नौ-9-2015-115ज/08टीसी, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकर (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- नियोजन अनुभाग-4
5- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव